

**प्रेस-विज्ञप्ति****थाना कोतवाली****2.2 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी नगर/सदर सिद्धार्थ तोमर के कुशल पर्यवेक्षण व नेतृत्व में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली पर अलग-अलग टीम गठित कर अपराध/अपराधियों की धड़ पकड़ करने हेतु हेतु लगातार प्रयास के क्रम में -

प्र०नि० कृष्ण कुमार गुप्ता मय व०उ०नि० ब्रह्मदीन पाण्डेय व उ०नि० विनय कुमार दूबे चौकी प्रभारी पहाड़पुर मय हमराह कर्म०गण के द्वारा थाना क्षेत्र में चैकिंग की जा रही है थी तभी मुखबिर खास के द्वारा सूचना दिया गया कि बिलरिया की चुंगी के पास विजय सिंह की सरकारी भांग की दुकान है जिसपर अवैध रूप से फिर गांजा बेचा जा रहा है। इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम एकाएक सरकारी भांग की दुकान के सामने पहुंची कि गुमटी के अन्दर बैठा एक व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर काफी तेजी से भाग गया तथा गुमटी के अन्दर बैठा विकलांग व्यक्ति पुलिस को देखकर सकपकाने लगा शक होने पर पूछा गया कि क्यो पुलिस को देखकर दुकान में रखे सामान को इधर उधर छुपा रहे हो तथा तुम्हारी दुकान में बैठा कौन था जो तेजी से भागा है तो बता रहा है कि वह विजय सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी करतालपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ थे तथा उन्ही कि सरकारी लाइसेन्सी भांग की दुकान है तथा मुझको सेल्स मैन के रूप में रखे है 200 रुपया की दर से प्रतिदिन देते हैं। उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 2.2 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा को बरामद किया गया। मौके से एक व्यक्ति/अभियुक्त विजय सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी करतालपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ फरार हो गया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम पता **मनोज कुमार पुत्र पबबर राम उम्र 38 वर्ष साकिन देवखरी थाना कंधरापुर आजमगढ़ हाल पता बिलरिया की चुंगी थाना कोतवाली आजमगढ़ जनपद आजमगढ़ बताया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।**

**गिरफ्तार अभियुक्त -**

**मनोज कुमार पुत्र पबबर राम उम्र 38 वर्ष साकिन देवखरी थाना कंधरापुर आजमगढ़ हाल पता बिलरिया की चुंगी थाना कोतवाली आजमगढ़ जनपद आजमगढ़ जो एक पैर से विकलांग है**

**बरामदगी माल का विवरण-**

2.2 किलोग्राम गांजा

**पंजीकृत अभियोग का विवरण—**

मु०अ०सं० 270/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

मु०अ०सं० 181/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

**गिरफ्तारी करने वाली टीम**

1. प्र०नि० कृष्ण कुमार गुप्ता
2. व०उ०नि० ब्रह्मदीन पाण्डेय
3. उ०नि० विनय कुमार दूबे चौकी प्रभारी पहाड़पुर

4. कां० बाबूलाल सोनकर
5. कां० नीरज कुमार गौड़
6. कां० सुदीप कुमार यादव
7. कां० रंजीत कुमार
8. कां० सोनू कुमार
9. रि०कां० विशाल कुमार मिश्र
10. रि०कां० सौरभ कुमार
11. कां० रणवीर वर्मा
12. कां० विकास यादव समस्त थाना कोतवाली आजमगढ़

### थाना- महाराजगंज

**20 लीटर अवैध देशी कच्ची अपमिश्रित शराब व यूरिया करीब 500 ग्राम व फिटकिरी करीब 250 ग्राम के साथ**

### 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवैध शराब बनाने व बेचने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे के नेतृत्व में दिनांक 29.08.21 को उ०नि० हौसिला प्रसाद सिंह मय हमराह HC रमेश कुमार व HC संतोष कुमार यादव, हे०का० समेरिका यादव के देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम में मामूर होकर कटान बाजार में मामूर थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली की मलहपुरवा ढाला की तरफ से एक व्यक्ति पिपिया में अवैध शराब लेकर आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम मय मुखबीर के साथ परशुरामपुर बाजार से प्रस्थान कर मलहपुरवा ढाला के पास पहुँचकर आने वाले व्यक्तियों को देखने लगी कि कुछ ही देर में एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया मुखबीर खास इशारा करके हट बढ़ गया। ज्यों ही वो व्यक्ति मलहपुरवा ढाला पर आया पुलिस टीम ने एक बारगी घेर कर पकड़ लिया। पकड़े हुए व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम इन्द्रजीत यादव S/O स्व० कांता यादव सा० देवारा तुर्कचारा, थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया जामा तलाशी लेते हुए हाथ में लिए 02 अदद पिपिया में 20 लीटर अवैध देशी कच्ची अपमिश्रित शराब व यूरिया करीब 500 ग्राम व फिटकिरी करीब 250 ग्राम के बारे में पूछा गया तो बताया साहब इसमें अपमिश्रित कच्ची शराब है जिसे बेचकर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। शराब रखने व बेचने का अधिकार पत्र माँगा गया तो दिखाने से कासिर रहा। अभियुक्त को धारा 272, 273 IPC व 60 आबकारी का अपराध बताकर दिनांक 29.08.21 को समय 19.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त -

अभियुक्त इन्द्रजीत यादव S/O स्व० कांता यादव सा० देवारा तुर्कचारा, थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

### बरामदगी-

02 अदद पिपिया में 20 लीटर अवैध देशी कच्ची अपमिश्रित शराब व यूरिया करीब 500 ग्राम व फिटकिरी करीब 250 ग्राम।

### पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 242/21 धारा 272, 273 IPC व 60 आबकारी अधिनियम

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SHO गजानन्द चौबे के नेतृत्व में उ०नि० हौसिला प्रसाद सिंह मय हमराह HC रमेश कुमार व HC संतोष कुमार यादव, हे०का० समेरिका यादव।

### थाना-महाराजगंज

**10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा अवैध शराब बनाने व बेचने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी व अवैध शराब की बरामदगी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के के दृष्टिगत **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण** व **क्षेत्राधिकारी सगड़ी** के कुशल निर्देशन में दिनांक 29.08.21 को उ०नि० राजेन्द्र प्रसाद थाना महाराजगंज मय हमराहीयान हे०का० परमात्मानन्द यादव व हे०का० दिनेश चन्द यादव के अवैध शराब की तस्करी पर रोकथाम हेतु परशुरामपुर बाजार में मौजूद थे कि उसी दौरान मुखबीर से सूचना मिली की रूपयनपुर की तरफ से एक व्यक्ति पिपिया में अवैध शराब लेकर आ रहे हैं। इस सूचना पर उ०नि० व मय हमराहीगण के साथ परशुरामपुर बाजार से प्रस्थान कर रूपयनपुर नहर पुलिया के पास पहुँचकर आने वाले व्यक्ति को देखने लगे कुछ ही देर में एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया ज्यो ही वो व्यक्ति रूपयनपुर पुलिया पर पहुँचा कि पुलिस बल द्वारा एक बारगी घेर कर आवश्यक बल प्रयोग कर समय 18.35 बजे पकड़ लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम वीरेन्द्र मिश्रा पुत्र श्रीराम मिश्रा साकिन चाँदपुर मिश्रपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया। मौके पर तलाशी से उसके पास से एक पीपीया में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुआ। अभियुक्त से शराब रखने व बेचने का अधिकार पत्र मागने पर दिखाने नहीं सका। अग्रिम पुछताछ में बताया कि मैं शराब बेचकर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करता हूँ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-241/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त**

वीरेन्द्र मिश्रा पुत्र श्रीराम मिश्रा साकिन चाँदपुर मिश्रपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़  
**बरामदगी**

10 लीटर अवैध कच्ची शराब

### **पंजीकृत अभियोग**

मु०अ०सं० 241/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

### **गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम**

उ०नि० राजेन्द्र प्रसाद मय हमराह हे०का० दिनेशचन्द यादव व हे०का० परमात्मानन्द यादव थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

### **थाना जहानागंज**

### **पाक्सो एक्ट में वाछित एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 04.07.2021 को वादी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना पर आकर लिखित तहरीर दी की अभियुक्त रितेश उर्फ गब्बू राजभर पुत्र विरजू राजभर निवासी उन्नूपीर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने मेरी लड़की 17 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले गया। वादी के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 156/2021 धारा 363 बनाम रितेश उर्फ गब्बू राजभर पुत्र विरजू राजभर निवासी उन्नूपीर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया था तथा दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

आज दिनांक 30.08.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मु0अ0स0 156/2021 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रितेश उर्फ गब्बू राजभर पुत्र विरजू राजभर निवासी उन्नूपीर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को महुआचट्टी पर से समय करीब 12.10 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0स0 156/2021 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त:-

रितेश उर्फ गब्बू राजभर पुत्र विरजू राजभर निवासी उन्नूपार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1- उ0नि0 सन्तोष कुमार
- 2-हे0का0 सरोज पाण्डेय
- 3.का0 मुकेश यादव

थाना- कप्तानगंज

पाक्सो एक्ट के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 01.07.2021 को वादी थाना कप्तानगंज आजमगढ़ द्वारा दिये गये लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 97/2021 धारा 363/366/354क IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम 1. विवेक उर्फ सिन्टू पुत्र अच्छेलाल 2. प्रमोद पुत्र अच्छेलाल 3. अवधेश पुत्र रामअनुज साकिनान गौरा थाना कप्तानगंज आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया है। विवेचना से धारा 376D IPC व 5G/6 पाक्सो एक्ट पाया गया तथा धारा 354क IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट का लोप किया गया। अभियुक्त अखिलेश यादव पुत्र अमरजीत यादव निवासी अमिलाई थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। जिसकी विवेचना प्रचलित है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के दिशा निर्देशन व कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु अभियान के तहत मुखबीर सूचना के आधार पर विश्वास कर अभियुक्त मेडिकल के दूकान पर दबिश देकर उ0नि0 रमेश कुमार पटेल मय हमराहियान के अभियुक्तगण अखिलेश यादव पुत्र अमरजीत यादव साकिन अमिलाई थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ व विवेक यादव उर्फ सिन्टू पुत्र अच्छेलाल निवासी ग्राम गौरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 30.08.2021 समय करीब 10.00 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 97/2021 धारा 363/366/376D IPC व 5G/6 पाक्सो एक्ट थाना कप्तानगंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1. अखिलेश यादव पुत्र अमरजीत यादव साकिन अमिलाई थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ,
2. विवेक यादव उर्फ सिन्टू पुत्र अच्छेलाल निवासी ग्राम गौरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1. उ0नि0 रमेश कुमार पटेल, आजमगढ़ ।
2. का0 भाष्कर मिश्रा,
3. का0 आकाश वर्मा,
4. का0 लवकुश यादव

\*नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 25 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।\*